भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1764
10 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

मत्स्य पालन/ईईजेड नियमों के मसौदे के संबंध में हितधारकों की समीक्षा

1764. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मत्स्य पालन से संबंधित मसौदा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) नियमों तथा उनमें निहित दंड प्रावधानों को लेकर हितधारकों एवं विधिक प्रस्तुतियों की समीक्षा की है, जिन्हें मौजूदा अधिनियमों से विरोधाभासी बताया गया है;

(ख) कानूनी विशेषज्ञों और मछुआरा समुदायों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार का क्या ठोस बदलाव (यदि कोई हो) करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सार्वजनिक परामर्श की समय-सीमा तथा नियमों के अंतिमकरण का कार्यक्रम नियत समय में सभा के पटल पर रखा जाएगा; यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग) भारत सरकार ने 4 नवंबर 2025 को अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी के सतत दोहन के नियम (सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीस इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन 2025) को अधिसूचित किया है। यह ऐतिहासिक पहल पारंपरिक एवं लघु-स्तरीय मछुआरों, मात्स्यिकी सहकारी समितियों तथा फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FFPOs) को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि वे अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर सकें, डीप सी फिशिंग के माध्यम से अप्रयुक्त संसाधनों का उपयोग कर सकें, तथा प्रसंस्करण और निर्यात के माध्यम से आय के नए स्रोत प्राप्त कर सके, जिससे उनकी आजीविका बेहतर हो सके। मत्स्यपालन विभाग ने फरवरी से सितंबर 2025 के दौरान विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की है, जिनमें केंद्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग, तटीय सुरक्षा एजेंसियाँ, तटीय राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, अनुसंधान संस्थान, मछुआरा संघ, सहकारी समितियाँ आदि शामिल हैं, ताकि उनके सुझाव और विचार प्राप्त किए जा सकें। इसके अलावा, EEZ नियमों के मसौदे को एक माह की अवधि के लिए सार्वजनिक डोमेन में भी रखा गया था, ताकि आम जनता और हितधारकों से सुझाव एवं टिप्पणियाँ प्राप्त की जा सकें। कुछ राज्यों और हितधारकों के अनुरोध पर सार्वजनिक परामर्श की अवधि को अतिरिक्त 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया था। इसके बाद हितधारक परामर्श के माध्यम से प्राप्त प्रासंगिक सुझावों के आधार पर मसौदा नियमों को अद्यतन किया गया। ये नियम व्यापक हितधारक परामर्श तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा कानूनी पुनरीक्षण के उपरांत तैयार किए गए हैं।

*****